संख्या- 1765 /III-2/04-63 (समान्य)/2003

प्रेषक,

टी0के0पन्त,
संयुक्त सचिव,
उत्तरांचल शासन ।

सेवामे,

प्रभारी मुख्य अभियन्ता स्तर-1
लोक निर्माण विभाग, देहरादून ।

लोक निर्माण अनुभाग-2 देहरादून,दिनांक 7 जनवरी,2005

विषयः- श्री जगत सिंह बिष्ट कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) निर्माण खण्ड, लो.नि.वि. हल्द्वानी द्वारा कराई गई चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-601/11 व्यख-उत्तरांचल/03 दिनांक 4.7.2003 के सन्दर्भ मे चिकित्सा परिचर्या नियमावली,1997 एवं चिकित्सा अनुभाग-2 उत्तरांचल शासन के शासनादेश संख्या-1180/चि.-2-2003-437/2002, दिनांक 20.12.2003 एवं संख्या-1010/वि.अनु.-1/2004, दिनांक 29 नवम्बर,2004 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री जगत सिंह बिष्ट, कनिष्ठ अभियन्ता(सिविल) ,लो.नि.वि. हल्द्वानी द्वारा अपने कम्प्रेशिंग रोग के उपचार हेतु दिनांक 19.8.93 से 27.9.93 तक की अवधि में भर्ती रहकर कराये गये उपचार पर व्यय की गयी धनराशि पर महानिदेशक ,चिकित्सा एवं स्वास्थय परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश द्वारा अपने पत्र दिनांक 24.5.03 द्वारा प्रतिपूर्ति योग्य पायी गयी धनराशि रू0 14,634.00(रू0 चौदह हजार छःसौ चौंतीस मात्र) की धनराशि के व्यय की श्री राज्यपाल महोदय इस शर्त के साथ सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं कि यदि इससे पूर्व कोई अग्रिम धनराशि स्वीकृत की गयी है तो उसके समायोजन के उपरान्त ही देय अवशेष धनराशि का आहरण किया जायेगा । आहरण से पूर्व श्री बिष्ट से इस बात का प्रमाण पत्र ले लिया जायेगा कि उक्त दावा प्रथम बार बनाकर प्रस्तुत किया जा रहा है,और इसका भुगतान इससे पूर्व नही हुआ है ।

2. प्रदेश से बाहर कराये गये उपचार पर शासनादेश संख्याः यू.ओ.-94/चि.-2-2002 दिनांक 23 दिसम्बर, 2003 द्वारा कार्योत्तर स्वीकृति के आदेश निर्गत कर दिये गये है।

3. इस संबंध मे होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2004-05 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-22 के अर्न्तगत लेखाशीर्षक 2059-लोक निर्माण कार्य-80 -सामान्य (आयोजनेत्तर) -051-निर्माण-00-03-विकास/निर्माण कार्य के प्रखण्ड-27 चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति की मद के नामे डाला जायेगा ।

भवदीय

(टी.के. पन्त)
संयुक्त सचिव ।

कमशः 2/-

Nic-1035

संख्या– 17-65 / ।।।(2)/04 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम) उत्तरांचल,इलाहाबाद/देहरादून ।
2. मुख्य अभियन्ता कुमांऊ क्षेत्र,लो.नि.वि. अल्मोडा ।
3. अधीक्षण अभियन्ता ,53 वां वृत्त,लो.नि.वि., हल्द्वानी।
4. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड,लो.नि.वि.,हल्द्वानी को मूल बाऊचर्स सहित अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
5. कोषाधिकारी, नैनीताल/हल्द्वानी।
6. चिकित्सा अनुभाग–2/वित्त अनुभाग–3,उत्तरांचल शासन ।
7. श्री जगत सिंह बिष्ट कनिष्ठ अभियन्ता,निर्माण खण्ड,लो.नि.वि. हल्द्वानी ।
8. लोक निर्माण अनुभाग–1/ गार्ड बुक ।

आज्ञा से

(टी.के. पन्त)
संयुक्त सचिव ।

R-c-joshi- txt